3.00 P.M.

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: Sir, I introduce the Bill.

The Women Farmers' Entitlements Bill, 2011

PROF. M. S. SWAMINATHAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the gender specific needs of women farmers, to protect their legitimate needs and entitlements and to empower them with rights over agricultural land, water resources and other related rights and for other functions relating thereto and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

PROF. M. S. SWAMINATHAN: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2012
(Amendment of Preamble, Articles 1 and 28)

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. RAMA JOIS: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2012 (Substitution of Article 220 and Insertion of New Article 220A)

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री तरुण विजय: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

The Constitution (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of Article 39)

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री तरुण विजय: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

The Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of New Article, 371J)

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड): मान्यवर, उत्तराखंड में भी नॉर्थ-ईस्ट की तरह से Non-lapsable Central Pool of Resources से एक अलग विभाग बनाया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ-ईस्ट रीजन से उनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उस पर मैंने पिछले दिन थोड़ा सा प्रकाश डाला था और अपना विचार प्रारंभ किया था। मैंने उस समय यह निवेदन किया था कि दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, केवल उत्तराखंड ही नहीं, कश्मीर से लेकर पूरे नॉर्थ-ईस्ट तक, सब की एक जैसी परिस्थितियां हैं, एक जैसा ही हिमालय का बॉर्डर है, एक जैसी समस्याएं हैं और एक जैसी कठिनाइयां हैं। उन सबके बावजूद तत्कालीन सरकार ने 1998 में नॉर्थ-ईस्ट के लिए एक अलग से विभाग खोला, जो बाद में पूरा मंत्रालय भी बन गया है। उस मंत्रालय के माध्यम से एक प्रकार से जो हमारा सरकारी बजट होता है, प्लान बजट होता है उस प्लान बजट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अनेक विभाग हैं, उन विभागों का बचा हुआ जो दस परसेंट है, उसको नॉर्थ-ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार का जो Non-lapsable Central Pool of Resources बनाया गया है, उसके माध्यम से उनके विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ-ईस्ट के पिछड़े इलाकों के लिए यह सहायता दी जा रही है। तत्कालीन सरकार ने 1998 में यह कदम उठाया, वास्तव में यह अच्छी बात है। उस समय हमारे यहां नया उत्तराखंड राज्य बनवाने के लिए लड़ाई चल रही थी, जबकि वे राज्य पहले से ही थे तो उन्होंने यह सहायता प्राप्त कर ली। हमको उस समय सन् 2000 में उन्होंने नया राज्य दे दिया और स्पेशल स्टेट्स हमको भी दिया और उनको भी दिया। उस समय हम इतने से ही खुश थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ-ईस्ट को एक प्रकार से पूरा एक मंत्रालय भी दे दिया। उसके लिए एक्स्ट्रा बजट का प्रावधान किया गया, जिस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने हिमाचल और उत्तराखंड को एक इण्डस्ट्रियल पैकेज दिया था जो पूरे दस साल के लिए दिया था। सन् 2003 में दिया हुआ यह पैकेज इन दोनों राज्यों में 2013 तक चलना चाहिए था। अब यह कैसी anomaly है, कैसा विरोधाभास है, यह मैं विषय यहां पर इसलिए लाया हूं कि नॉर्थ-ईस्ट में एक ओर स्पेशल इण्डस्ट्रियल पैकेज दिया गया है, जो पूरे 2020 तक दिया गया है। लेकिन जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 2013 तक के लिए दिया गया था, वह हमारी यू.पी.ए. वन सरकार ने ऐसा करिश्मा किया कि वह 2010 में खत्म कर दिया। अब यह एक प्रकार से यहां के लोगों को चिढ़ाने का काम है कि उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों को हम इसलिए नहीं दे रहे, हो सकता है उस समय दोनों में सरकारें शायद दूसरी पार्टी की हों या कौन सा रीजन रहा हो, मैं नहीं जानता। परन्तु जिस प्रकार से यह प्रहार किया गया उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि यह सरकार या तो आपस में राज्यों को लड़ाना चाहती है या फिर आपस में भेदभाव करके या फिर उन राज्यों में जहां किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, उनको निश्चित रूप से हतोत्साहित करना चाहती है। ऐसा उसके पीछे का एक